

भारतीय रिज़र्व बैंक

शहरी बैंक विभाग
केन्द्रीय कार्यालय, बम्बई

RESERVE BANK OF INDIA URBAN BANKS DEPARTMENT CENTRAL OFFICE, BOMBAY

लाइसेंस सं. यूबीडी.एएस.495 पी.

भारतीय रिज़र्व बैंक को बैंककारी विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 56 (ण) के साथ
पढ़ी जानेवाली धारा 22 (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दि इण्डरस्क्राइब

को-ऑपरेटिव बैंक लि., गौहाटी

को एतद्वारा निम्नलिखित शर्तों के अधीन बैंकिंग कारोबार प्रारंभ करने की शर्तों को मान्य रखने का लाइसेंस
प्रदान किया जाता है।

(क) बैंक को प्रारंभ करने के लिए आवश्यक

तक सीमित होयगा।

(ख) बैंक अपने पंजीकृत कार्यालय में लाइसेंस अथवा उसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्शित करेगा।

आर.जी.के.नायर

अधीनस्थ / उप-मुख्य अधिकारी

दिनांक : 11 अगस्त 1986
20 श्रावण 1908 (शका)

LICENCE No. UBD. AS.495 P.

In exercise of the powers conferred on the Reserve Bank of India by Section
22 (1) read with Section 56 (a) of the Banking Regulation Act, 1949, The

Industrial Co-operative Bank Ltd., Guwahati.

is hereby granted a licence to carry on banking business, subject
to the following conditions :

(क) This licence or a certified copy thereof shall be displayed at the regi-
stered office of the bank from the date following the receipt thereof.

Dated : 11 August 1986
20 Sravana 1908 (Saka)

R. G. K. Nair
Deputy Chief Officer